कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा ममता मिश्रा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा, मौलासर जिला नागौर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसाली जिला पाली किया गया था जिसके विरूद्ध ममता मिश्रा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 452/2021 ममता मिश्रा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 452/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 द्वारा अपीलार्थी ममता मिश्रा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 20 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए दो सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के विधवा होने के मद्देनजर अपना पदस्थापन/समायोजन राबाउमावि बोरावड, मकराना, नागौर/राउमावि मण्डावरा, कुचामन, नागौर/राउमावि भूणी, नावां, नागौर/राउमावि शिव, नावां, नागौर अथवा राउमावि कुकरोद, मकराना जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की विकट शारीरिक दशाओं, प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 में विधवा कार्मिक को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देशों के अनुसरण में अपीलार्थी ममता मिश्रा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसाली जिला पाली को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुकरोद, मकराना जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित/समायोजित किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/ममता मिश्रा/452/2021 **दिनांक:** 02/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/पाली संभाग, अजमेर/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक नागौर/पाली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. ममता मिश्रा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि ईसाली जिला पाली को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)